<u>सत्र प्रकरण क्रमांक 22/2023 शासन विरूद्ध हिमांशु वगैरह</u>

Witness No. **19** For अभियोजन साक्षी Deposition taken The **23.04.2025** day of बुधवार Witness's apperent age **58 वर्ष** States on affirmation शपथपूर्वक my name is सी०आर० साहू Son of स्व. श्री बी०आर० साहू occupation सहायक उपनिरीक्षक address थाना-सिटी कोतवाली बलौदाबाजार, जिला-बलौदाबाजार भाटापारा (छ०ग०)

<u>समय– 01.00 बजे से –</u>

<u>मुख्य परीक्षण द्वारा श्री अनिल कुमार गोपाल, अपर लोक अभियोजक वास्ते अभियोजन–</u>

1– मैं दिनांक 24.01.2022 को थाना बिलाईगढ़ में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था ।

2– उक्त दिनांक को मृतक लोमेश कुमार साहू के पिता शिव प्रसाद साहू ने थाने में आकर मृतक के गुम होने की लिखित शिकायत दर्ज करायी थी । उक्त लिखित शिकायत पर गुम इंसान सूचना दर्ज की गई थी, जो कि **प्रदर्श पी. 01** है ।

3– गुम इंसान की पता–साजी जारी थी । इसी बीच मृतक के भाई लोकेश साहू ने मुझे जानकारी दी कि उनके भाई मृतक लोमेश का शव रैनी तालाब, बिलाईगढ़ में पानी में डूबा हुआ है । मौका नक्शा प्रदर्श पी. 10 है, जिसके स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं ।

4– उक्त शिकायत पर **दस्तयाबी पंचनामा** तैयार किया गया, जो कि **प्रदर्श पी. 05** है, जिसके ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं । मृतक की तालाब से बरामदगी के संबंध में मर्ग इंटिमेशन चाक किया गया । मर्ग इंटिमेशन **प्रदर्श पी. 11** है, जिसके ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं ।

5– मौके पर जाकर गवाहों की उपस्थिति में मर्ग पंचनामा तैयार किया गया । मर्ग पंचनामा बनाने के पूर्व नोटिस दिया गया । नोटिस प्रदर्श पी. 06 है, जिसके

अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है तथा शव का नक्शा पंचनामा **प्रदर्श पी. 07** है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं । शव के पंचनामे के बाद मृतक के शव को पी०एम० के लिए भेजा गया । तत्संबंध में शव के पी०एम० के लिए आवेदन पत्र **प्रदर्श पी. 43** है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। इस हेतु कर्तव्य प्रमाण पत्र आरक्षक क्रमांक 593 गौरीशंकर कश्यप को देकर शव के साथ रवाना किया गया । आरक्षक क्रमांक 593 गौरीशंकर कश्यप को दिया गया कर्तव्य प्रमाण पत्र **प्रदर्श पी. 44** है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं ।

6– घटनास्थल के मौके नक्शे के लिए मेरे द्वारा तहसीलदार को आवेदन प्रेषित किया गया, जो कि **प्रदर्श पी. 45** है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं । इस हेतु स्मरण पत्र भी जारी किया गया था, जो कि **प्रदर्श पी. 33** है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं । प्राप्त पटवारी नक्शा **प्रदर्श पी. 12** एवं पंचनामा **प्रदर्श पी. 30** है ।

7– विवेचना कार्यवाही के संबंध में धारा 160 दंड प्रक्रिया संहिता का गवाहों को नोटिस दिया गया था जिसकी पावती **प्रदर्श पी. 31 एवं प्रदर्श पी. 32** है, जिसके ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं । विवेचना के दौरान आरोपी जयनारायण देवांगन, हिमांशु राकेश तथा रवि राकेश का मेमोरेंडम कथन लेखबद्ध किया गया । मेमोरेंडम कार्यवाही **प्रदर्श पी. 13 से प्रदर्श पी. 15** के स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं ।

8– आरोपी हिमांशु राकेश के घर के आंगन में बने बाथरूम बंद हालत में जहाँ मृतक को बेहोश हालत में रखा था, उसका तलाशी पंचनामा **प्रदर्श पी. 16** तैयार किया गया, जिसके स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं ।

9– मेरे द्वारा बिलाईगढ़ खजरी रोड रमेश हार्डवेयर गोदाम जाकर रमेश कुमार जायसवाल के हार्डवेयर गोदाम की सी०सी०टी०वी० फुटेज मैकेनिक श्याम कुमार साहू से प्राप्त की । तत्संबंध में जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी. 23** है, जिसके द से द भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं ।

10– मृतक के पी०एम० पश्चात चिकित्सक द्वारा आरक्षक गौरीशंकर कश्यप को मृतक के विसरा, बोन, सॉल्ट वॉटर की डायटम टेस्ट और विसरा जांच के लिए जो दिये गये थे, की जप्ती की गई, जिसके द से द भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं ।

11– मेरे द्वारा आरोपी हिमांशु राकेश के घर–बाड़ी स्थित बाथरूम जो अंबुजा सिमेंट की बोरियों को सिलकर तिरपाल बनाया गया, जिसपर खून के धब्बे लगे थे, को जप्त किया गया । जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी. 17** है, जिसके स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं ।

12– मेरे द्वारा रैनीभाठा डबरी तालाब के ऊपर जाकर घटनास्थल पर गिरे खून आलूदा सर्कल से 08 पैकेट में घटनास्थल की मिट्टी को जप्त किया गया और सादी मिट्टी को भी जप्त किया गया । जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी. 21** है, जिसके स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं ।

13– मेरे द्वारा आरोपी हिमांशु राकेश के घर से आरोपी जयनारायण देवांगन के पेश करने पर उपयोग में लायी गई मोटर सायकल क्रमांक सी०जी० 04 एच० डब्ल्यू० 2517 एवं आरोपी जयनारायण द्वारा धारित मोबाईल की भी जप्ती की गई । जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी. 18** है, जिसके स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं ।

14– मेरे द्वारा आरोपी हिमांशु राकेश के पेश करने पर उसके घर से लोहे का सैलेंसर एवं मोबाईल की जप्ती की गई, जिसके संबंध में जप्ती पत्रक प्रदर्श पी. 25 है, जिसके स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं ।

15– आरोपी रवि राकेश के पेश करने पर उसकी मोटर सायकल और मोबाईल की जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी. 19** के अनुसार जप्ती की गई, जिसके स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर है । शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला, टिकरीपाली स्कूल के पीछे कचरे के पास से आरोपी रवि राकेश के बताये जाने पर मृतक के मुँह में बांधे कपड़े एवं हाथ–पैर में बांधी रस्सी को जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी. 20** के

अनुसार जप्त किया गया । जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी. 20** के स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं ।

16– मृतक का शव डबरी तालाब रैनीभाठा के पानी में मिला था, इस हेतु तालाब के पानी को 01 लीटर बॉटल में जप्त किया गया था । जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी. 22** है, जिसके स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं ।

17– जप्त CCTV फुटेज की 32 जी०बी० सेनडिस्क पेनड्राईव **आर्टिकल 01** है । रमेश कुमार जायसवाल को CCTV कैमरे में संरक्षित फूटेज को पैनड्राईव में रिकार्ड को सुरक्षित रखे जाने के संबंध में प्रेषित नोटिस और उक्त की पावती **प्रदर्श पी. 29** है, जिसके स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं । नोटिस **प्रदर्श पी. 41** है ।

18– तीनों आरोपीगणों का गिरफ्तारी पत्रक **प्रदर्श पी. 26 से प्रदर्श पी. 28** है, जिनके स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं । गिरफ्तारी की सूचना प्रदर्श **पी. 46 एवं प्रदर्श पी. 47** है । स्थल पंचनामा आरोपी हिमांशु राकेश के घर बाथरूम जिसे सीलबंद किया गया, जिसका स्थल पंचनामा **प्रदर्श पी. 29** है, जिसके ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं ।

19– मेरे द्वारा गवाह सोनू कहरा, मनीराम साहू, बजरंग कहरा, भूरवाराम राकेश, शांता बाई साहू, शिवप्रसाद साहू, लोकेश कुमार साहू, ओमहरि राकेश, संदीप साहू, लक्ष्मण सारथी, लक्ष्मीनारायण राकेश, राजेश्वर साहू के बयान लेखबद्ध किये गये हैं ।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री अनादि शंकर मिश्र, अधिवक्ता वास्ते आरोपीगण–</u>

20– मेरे द्वारा इस प्रकरण की विवेचना दिनांक 24.01.2022 से दिनांक 17.02.2022 तक की गई है । यह कहना सही है कि मैंने मर्ग इंटिमेशन और अपराध की विवेचना की है । यह कहना सही है कि इसके पूर्व गुम इंसान की विवेचना प्रधान आरक्षक मनोहर सिंह पारेश्वर ने की थी और उसके बाद मैंने शव की बरामदगी के पश्चात मर्ग इंटिमेशन और अपराध की विवेचना की ।

21– मैं आज नहीं बता सकता कि दिनांक 27.01.2022 को मैं किस समय रैनीभांठा तालाब पहुँचा और पहुँचने के कितनी देर बाद शव की बरामदगी की कार्यवाही की थी । यह कहना सही है कि शव बरामदगी पंचनामा प्रदर्श पी. 05 में समय का विलोप है ।

22– यह कहना सही है कि बरामदगी पंचनामा प्रदर्श पी. 05 में मेरे द्वारा यह सही लेख किया गया है कि **"....पतासाजी के दौरान दिनांक 27.01.2022 को गुम इंसान लोमेश साहू का शव रैनीभांठा डबरी तालाब में मृत हालत में तैरते हुए मिला"**। यह कहना सही है कि मर्ग इंटिमेशन प्रदर्श पी. 11 में लिखा गया यह भी सही लेख है कि "लोकेश कुमार के द्वारा फोन पर सूचना देने पर कि गुम इंसान लोमेश का शव रैनीभांठा डबरी तालाब में दिख रहा है"।

23– यह कहना सही है कि मैं मृतक के भाई लोकेश के द्वारा सूचना देने पर कि मैं रैनीभांठा डबरी तालाब गया था । यह कहना सही है कि मैं मृतक के भाई के द्वारा सूचना देने पर रैंनीभाठा डबरी तालाब गया था, स्वयं से पता–साजी करते हुए नहीं गया था । यह कहना सही है कि प्रदर्श पी. 05 में पता–साजी के दौरान शव के मिलने का उल्लेख गलत है । साक्षी स्वतः कहता है कि हम लोग कुछ ही दूरी पर थे ।

24– मेरी पुलिस विभाग में कार्य करने का 35 वर्ष का अनुभव है । मैं विगत 10 वर्षों से प्रकरणों में विवेचना कार्यवाही कर रहा हूँ । यह कहना सही है कि गुम इंसान की जांच के दौरान मैंने मृतक के पिता शिवप्रसाद साहू की लिखित रिपोर्ट दिनांक 24.01.2022 देखी थी । यह कहना सही है कि मृतक के पिता के लिखित आवेदन पर धारा धारा 341, धारा 323 एवं धारा 342 भारतीय दंड संहिता का अपराध प्रकट हुआ था, जिसमें से धारा 341 एवं 342 असंज्ञेय अपराध है । यह कहना सही है कि उक्त धाराओं का प्रसंज्ञान लेकर प्रथम सूचना पत्र दर्ज नहीं किया गया था ।

25– यह कहना गलत है कि मैं मृतक के पिता की उक्त आवेदन के आधार पर प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कर विवेचना करता तो प्रकरण की स्थिति भिन्न होती । यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा इस तरह से आवेदन पर प्रथम

सूचना प्रतिवेदन दर्ज न करके प्रार्थी एवं संबंधित गवाहों को सोचने, समझने व कहानी गढ़ने का अवसर दिया और भौतिक साक्ष्य भी उसी समय उपलब्ध कराये जाने का अवसर दिया ।

26– यह कहना गलत है कि मैंने प्रार्थी पक्ष को लाभ देने के लिए छिपाने और कूटरचना का अवसर दिया । यह कहना गलत है कि बरामदगी पंचनामा गुम इंसान के समय मुझे यह ज्ञात हो गया था कि लोमेश की मृत्यु हत्यात्मक है। यह कहना सही है कि शव के बरामद होने पर सर्वप्रथम पुलिस के द्वारा नियमानुसार शव को कब्जे में लेकर शव पंचनामा की कार्यवाही कर शव के पी०एम० की कार्यवाही की जाती है ।

27– यह कहना सही है कि मैंने शव पंचनामा के पहले ही मृतक के पिता को शव को सुपुर्दनामा में दे दिया था । यह कहना सही है कि मैंने मृतक के पिता से पुनः लोमेश के शव को वापस लिये जाने के संबंध में कोई भी पंचनामा नहीं बनाया था । यह कहना गलत है मेरी उपरोक्त कार्यवाही से प्रार्थी पक्ष को शव के साथ छेड़खानी और कूटरचना का मौका मिल गया ।

28– यह कहना सही है कि मर्ग इंटिमेशन प्रदर्श पी. 11 के अनुसार शव की बरामदगी दिनांक 27.01.2022 को प्रातः 07 बजे कायम करना बताया हूँ। उसके पूर्व शव की बरामदगी और सुपुर्दनामा की कार्यवाही हुई है । यह कहना सही है कि बरामदगी पंचनामा और शव सुपुर्दनामा में समय का उल्लेख नहीं हुई है ।

29– **प्रश्न**–क्या आपको शव को देखकर लग रहा था कि मृतक की हत्या हुई है ?

उत्तर–हाँ ।

30– यह कहना सही है कि मौका स्थल पर हत्या के अपराध की कायमी नहीं की थी । यह कहना गलत है कि ऐसा न करके मैंने प्रार्थी पक्ष को कहानी गढ़ने का अवसर दिया । यह कहना सही है कि मृतक के शव पर आयी जिन चोटों का उल्लेख शव पंचनामा कार्यवाही में हैं, उक्त चोटों का कोई उल्लेख प्रदर्श

पी. 11 में मैंने नहीं किया है । यह कहना गलत है कि ऐसा न करके मैंने प्रार्थी पक्ष को कहानी गढ़ने और साक्ष्य बनाने का अवसर दिया है ।

31– मुझे शव पंचनामा की कार्यवाही करने में लगभग 01 घंटे का समय लगा । यह कहना सही है कि शव परीक्षण के लिए आवेदन में मैंने शव को पी०एम० हेतु रवाना करने का समय 09.30 बजे दर्शाया है । यह कहना सही है कि शव पंचनामा की कार्यवाही कितने समय प्रारंभ की गई, इसका उल्लेख नहीं है ।

32– यह कहना सही है कि गुम इंसान बरामदगी पंचनामा के लगभग 07 बजे शव को शिवप्रसाद को सुपुर्दनामा पर दिये जाने के उपरांत उससे शव वापस लिये जाने के दरमियान लगभग 01 घंटे का समय लगा होगा । यह कहना सही है कि शव परीक्षण के लिए आवेदन में मैंने लिखा है कि "दिनांक 25.01.2022 को होमगार्ड और गोताखोरों द्वारा तालाब में खोजबीन करायी गई" । यह कहना सही है कि मैंने उन होमगार्ड एवं गोताखोरों का डबरी तालाब में तत्संबंध में तलाशी लिये जाने के संबंध में कोई भी प्रतिवेदन पंचनामा बनाकर प्रकरण में संलग्न नहीं किया है और न ही मैंने अपनी ओर से उन होमगार्ड एवं गोताखोरों का कथन लेखबद्ध नहीं किया है।

33– यह कहना सही है कि शव परीक्षण आवेदन में यह भी लिखा गया है कि दिनांक 26.01.2022 को SDRF रायपुर के गोताखोर दल द्वारा अंडर वॉटर कैमरा, स्कूबा सैट एवं रबर बोट से तलाश किया गया । यह कहना सही है कि मैंने अपने अंडर वॉटर कैमरा और स्कूबा सैट में क्या दृश्य आये, उसका कोई पंचनामा तैयार नहीं किया है ।

34– यह कहना सही है कि मैंने SDRF के गोताखोर दल का कोई लिखित प्रतिवेदन/पंचनामा प्रकरण में संलग्न नहीं किया है और न ही गोताखोर दल को साक्ष्य सूची में रखा । यह कहना गलत है कि गोताखोर और SDRF रायपुर के गोताखोर की रिपोर्ट अभियोजन के पक्ष में नहीं थी, इसलिए मैंने अंडर वॉटर कैमरा व स्कूबा सैट में आये दृश्यों का पंचनामा नहीं बनाया एवं न ही होमगार्ड तथा SDRF के गोताखोरों की रिपोर्ट प्रस्तुत की ।

35– यह कहना सही है कि आरक्षक गौरीशंकर के कर्तव्य प्रमाण पत्र में वापसी के समय का उल्लेख नहीं है एवं मेरे द्वारा भी समय का उल्लेख नहीं किया गया है। मैं आज नहीं बता सकता कि आरक्षक ने कितने बजे थाने में वापसी की थी । यह कहना सही है कि तत्संबंध में रोजनामचा सान्हा भी पेश नहीं किया गया है ।

36– यह कहना सही है कि शॉर्ट पी०एम० रिपोर्ट और पी०एम० रिपोर्ट मुझे प्राप्त होने की दिनांक, समय का कोई पृष्ठांकन नहीं है । यह कहना सही है कि मैंने पी०एम० रिपोर्ट के आधार पर एफ०आई०आर० दर्ज नहीं की, बल्कि गुम इंसान एवं मर्ग इंटिमेशन के आधार पर लिखी है ।

37– यह कहना सही है कि उक्त बात की अवधि दिनांक 24.01.2022 के 19.00 बजे से दिनांक 27.01.2022 के प्रातः 09.30 बजे तक होना ठहरती है । यह कहना सही है कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन की कायमी दिनांक 27.01.2022 के 19.00 बजे अर्थात् साढ़े नौ घंटे के विलंब से दर्ज की गई है । यह कहना सही है कि विलंब का कारण एफ०आई०आर० में दर्ज नहीं है ।

38– यह कहना सही है कि एफ०आई०आर० की प्रति तत्काल मजिस्ट्रेट नहीं भेजी गई थी । यह कहना सही है कि इस बाबत कि एफ०आई०आर० की प्रति मजिस्ट्रेट को भेजी गई है, कि कोई काउंटर नालसी या दस्तावेज अभिलेख पर नहीं हैं । यह कहना सही है कि आरक्षक गौरीशंकर द्वारा चिकित्सक से प्राप्त मृतक की संपत्ति को थाने के प्रधान आरक्षक मालखाना को सुपुर्द करने का लेख कर्तव्य प्रमाण पत्र में है, जबकि मैं उक्त संपत्ति को आरक्षक गौरीशंकर से जप्त होना जप्ती पत्रक अनुसार बतलाया हूँ । यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा फर्जी रूप से मृतक की संपत्ति की जप्ती कार्यवाही का पत्रक तैयार किया गया है और आरक्षक गौरीशंकर से जप्त होना दर्शाया है । यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा प्रार्थी पक्ष को लाभ पहुंचाने के उद्देश से और गढ़ी हुई कहानी को वास्तविक रूप से सही बताने के लिए उक्त कार्यवाही तैयार की गई है ।

39– यह कहना सही है कि मौका नक्शा प्रदर्श पी. 10 दिनांक 27.01.2022 के 07.30 बजे का है, उसके कॉलम नंबर 05 के अनुसार मुझे लोमेश की हत्या होने की बात पता चल गई थी, परन्तु मैंने हत्या का अपराध दर्ज नहीं किया था । मैं नहीं बता सकता कि मेरे द्वारा बनाये गये मौका नक्शा प्रदर्श पी. 10 और पटवारी नक्शा प्रदर्श पी. 12 में भिन्नता हो ।

40– मैंने प्रदर्श पी. 10 में दर्शाया है कि शव 08 फीट गहरे पानी में तैर रहा था, परन्तु मैं पानी में नहीं गया था । यह कहना सही है कि जो व्यक्ति पानी में उतरा था, उसका कोई कथन नहीं लिया गया एवं उसे प्रकरण में गवाह नहीं बनाया गया है । यह कहना सही है कि मौका नक्शा में तालाब के क्षेत्रफल, व्यास, परिधि का उल्लेख नहीं है । मैं नहीं बता सकता कि तालाब कितना लंबा–चौड़ा होगा । यह कहना सही है कि मैंने मौका नक्शा में नहीं बताया कि तालाब में जीव–जन्तु, कछुआ, मछली है अथवा नहीं । मैं आज भी नहीं बता सकता कि उक्त तालाब में कछुआ, मछली है अथवा नहीं ।

41– यह कहना सही है कि मैं रैनीभांठा डबरी तालाब शिवप्रसाद साहू की निशानदेही पर गया था और उसके निशानदेही पर प्रदर्श पी. 10 का मौका नक्शा तैयार किया था ।

42– **प्रश्न–** जब शिवप्रसाद की रिपोर्ट पर गुम इंसान की कायमी की एवं उसके निशानदेही पर शव की बरामदगी तथा अपराध विवरण फार्म बनाया और प्रातः 07 बजे (दिनांक 27.01.2022) शिवप्रसाद आपके समक्ष उपलब्ध था, तो लोकेश की सूचना पर आपने मर्ग की कायमी 04/2022 पर की, शिवप्रसाद की सूचना पर नहीं, ऐसा क्यों?

उत्तर– लोकेश सूचना देने पर थाने आये थे, इसलिए उनकी सूचना पर मर्गकी कायमी की थी ।

43– यह कहना सही है कि मैने शव के पंचनामे में गले में चोंट का गहरा कालापन होना पाया था और पीठ, कमर और कूल्हे के पास भी गहरा काला चोंट का गहरा निशान पाया था । यह कहना सही है कि स्थल पंचनामा प्र०पी०–30

के अनुसार जहां मृतक के साथ मारपीट किया जाना बताया गया है, उस स्थल के आसपास के निवासी रामप्रसाद, संतोष जायसवाल तथा अन्य पड़ोसियों से न तो कोई पूछताछ नही हुई एवं न ही कथन लिये गये । साक्षी स्वतः कहता है कि उन लोगों ने अनभिज्ञता जताई थी ।

44– यह कहना सही है कि दिनांक 27.01.2022 को सुबह शव की बरामदगी एवं दिन भर की कार्यवाही से मुझे यह ज्ञात हो गया था कि अभियुक्तगण संदेही हैं । यह कहना गलत है कि आरोपीगण के फरार होने के संदेह पर मैने एफ आई आर दर्ज होने के पश्चात् आरोपीगणों को थाने में बुलवाकर बैठवा लिया था ।

45– मेरे द्वारा गवाह लक्ष्मीनारायण राकेश एवं राजेश्वर साहू का बतौर गवाह इसलिए चुनाव किया गया कि क्योंकि मौके पर अन्य उपस्थित लोग गवाही के लिए राजी नही थे और तैयार नही हो रहे थे । यह कहना सही है कि जो लोग राजी नही हो रहे थे, गवाही देने के लिए मदद नही कर रहे थे, उन लोगों को नोटिस देकर उन लोगों के विरूद्ध मैने कोई कार्यवाही नही की ।

46– यह कहना गलत है कि मुझे जानकारी थी कि आरोपीगणों की गवाह लक्ष्मीनारायण राकेश से दुश्मनी थी, इसलिए उन्हें गवाह के रूप में चुना था । यह कहना गलत है कि गवाह राजेश्वर साहू के प्रार्थी पक्ष के रिश्तेदार होने के कारण गवाह बतौर उसे भी चुना था । यह कहना गलत है कि मैने मेमोरेण्डम कार्यवाही के एक दिन पूर्व तीनों आरोपीगणों के साथ मारपीट की और दुर्व्यवहार कर उनका मेमोरेण्डम कथन लेखबद्ध किया । यह कहना गलत है कि तीनों आरोपीगणों के मेमोरेण्डम कथन रात्रि में ही लिये एवं अगले दिन गवाहों को बुलवाकर उनका हस्ताक्षर ले लिया ।

47– यह कहना सही है कि धारा 160 के गवाहों के नोटिस में समय का उल्लेख नही है, तामिलकर्ता अधिकारी के नाम, पदनाम का उल्लेख नही है और तत्तसंबंध में रोजनामचा सान्हा की प्रति भी संलग्न नही है ।

48– यह कहना गलत है कि आरोपीगणों के साथ एक रात पूर्व हुये दुर्व्यवहार का पता न चल जाये, इसलिए धारा 160 के गवाहों के नोटिस पर तामिलकर्ता अधिकारी के नाम का उल्लेख नही है ।

49– यह कहना सही है कि तलाशी पंचनामा में शर्ट, प्लास्टिक की रस्सी और कपड़े की जप्ती करा दिये जाने का उल्लेख नही है। यह कहना गलत है कि यदि मैं विधिवत मेमोरेण्डम कार्यवाही करता हूँ तो तलाशी या तलाशी पंचनामा की आवश्यकता नही पड़ती । यह कहना सही है कि तलाशी पंचनामा के पूर्व गवाहों को कार्यवाही में उपस्थित होने बाबत् नोटिस नही दिया गया था ।

50– यह कहना सही है कि तलाशी पंचनामा और तीनों आरोपियों के मेमोरेण्डम कार्यवाही में इस बात का उल्लेख नही है कि किसकी निशानदेही पर मैं बाथरूम में गया था । साक्षी स्वतः कहता है कि मुझे तीनों आरोपियों ने बताया था कि उन्होंने मृतक को बांधकर बाथरूम में रखा था । यह कहना सही है कि आरोपी हिमांशु राकेश के घर जाने के पूर्व उनके घर के मौजूद सदस्यों को कोई नोटिस नही दिया गया एवं स्वयं एवं गवाहों की कोई तलाशी नही दी गई थी । साक्षी स्वतः कहता है कि उसके घर में केवल एक नाबालिग लड़की थी और माता–पिता बाहर गये थे ।

51– यह कहना सही है कि मैने बाथरूम का भौतिक निरीक्षण किया था । यह कहना सही है कि तलाशी के बाद बाथरूम को सीलबंद करने का कोई पंचनामा तैयार नही है । यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा कथित बाथरूम की तलाशी में भौतिक निरीक्षण के दौरान अंबुजा सीमेन्ट की बोरियो से बनाये गये त्रिपाल को नही पाया गया था, इसलिए उसका उल्लेख तलाशी पंचनामा प्र०पी०–16 में नही है । यह कहना गलत है कि त्रिपाल में कोई बदबू होने का भी तथ्य नही पाया गया था ।

52– यह कहना सही है कि प्र०पी०–29 में दिनांक 01.02.2022 के 14.45 बजे के स्थल पंचनामा में कथित बाथरूम की सील तोड़कर खोले जाने का

कोई भी उल्लेख नही है । यह कहना गलत है कि सीलबंद होना, सील खोलना वाली बात कपोल कल्पित है । यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा तलाशी पंचनामा दिनांक 28.01.2022 के तीन चार दिन बाद अर्थात् दिनांक 01.02.2022 तक की अवधि में मैने कथित बाथरूम में जप्त त्रिपाल को प्रार्थी पक्ष से मिलकर प्लान्टिंग की, इस कारण मुझे तीन–चार दिन का विलम्ब हुआ ।

53– यह कहना सही है कि त्रिपाल की जप्ती कार्यवाही में त्रिपाल को सीलबंद किये जाने का उल्लेख नही है । यह कहना गलत है कि मौके पर त्रिपाल को सीलबंद नही किया गया था, इसीलिए किसी सील नमूने का उल्लेख नही है। यह कहना सही है कि मौके पर त्रिपाल को सीलबंद नही किया गया था।

54– यह कहना सही है कि किसी भी जप्ती पत्रक की प्रति संबंधित मजिस्ट्रेट को प्रेषित नही की थी । यह कहना गलत है कि दिनांक 28.01.2022 को मुझे कोई त्रिपाल मिला ही नही थी, इसलिए उसकी मैने जप्ती नही की थी ।

55– यह कहना सही है कि मैने रैनीभांठा डबरी तालाब तथा उसके आसपास के क्षेत्र का भौतिक निरीक्षण कर दिनांक 27.01.2022 को अपराध विवरण तैयार किया था । यह कहना भी सही है कि उसी दिन मैने गुम इंसान एवं बरामदगी पंचनामा रैनीभांठा में तैयार किया और तालाब से मृतक के शव को बाहर निकाला और तालाब के पानी को बॉटल में लेकर जप्त किया था। यह कहना सही है कि उपरोक्त दस्तावेजों में रैनीभांठा डबरी तालाब एवं आसपास के क्षेत्र पर खून होना या उस क्षेत्र में खून से सने मिट्टी होने का उल्लेख नही है ।

56– यह कहना गलत है कि उक्त का उल्लेख इसलिए नही है कि मैने भौतिक निरीक्षण पर कोई खून आलूदा मिट्टी नही पायी थी । यह कहना गलत है कि 08 पैकेट में खून आलूदा मिट्टी जप्त होने का उल्लेख जप्ती पत्रक में नही है । यह कहना सही है कि तत्संबंध में सीलबंद किये जाने का उल्लेख और नमूना सील का उल्लेख नही है । यह कहना गलत है कि जप्ती पत्रक प्र०पी०–21

के द से द भाग की बातें बाद में लिखी गई है, इसलिए उसकी स्याही शेष से अलग है । यह कहना गलत है कि द से द अंश को बाद में जोड़ा गया है ।

57– यह कहना गलत है कि डायटम टेस्ट के लिए न्यूनतम दो लीटर पानी की आवश्यकता होती है। यह कहना गलत है कि एक लीटर पानी डायटम टेस्ट के लिए अपर्याप्त है।

58– यह कहना गलत है कि मैने साक्षी लक्ष्मीनारायण राकेश एवं राजेश्वर साहू का बयान जिस दिनांक को लिया था, उसमें समय का उल्लेख नही किया है । यह कहना सही है कि तीनों अभियुक्तगण के जप्ती पत्र में कथित जप्त वस्तुओं को सीलबंद किये जाने एवं सील के नमूने का विलोप है । यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा तीनों अभियुक्तगण से कोई वस्तु की जप्ती नहीं की गई थी, इस कारण उन्हें सीलबंद नहीं किया गया था । यह कहना गलत है कि बाद में मेरे द्वारा झूठी जप्ती पत्रक बनायी गई है ।

59– यह कहना सही है कि जप्तशुदा मोबाईलों के कॉल डिटेल निकालने का आवेदन मेरे द्वारा नहीं दिया गया था । यह कहना सही है कि मैंने मृतक लोमेश व अभियुक्त हिमांशु की बहन के मोबाईल फोन को जप्त नहीं किया था । यह कहना सही है कि मैंने लोकेश कुमार साहू, हरिओम राकेश, संदीप साहू तथा लोकेश की बड़ी बहन मधु साहू के मोबाईल फोन को जप्त नहीं किया ।

60– यह कहना सही है कि मैंने मोबाईल फोन क्रमांक 9098703076 के धारक का कस्टमर फार्म की जप्ती नहीं किया है । यह कहना सही है कि मोबाईल नंबर 9399259841 का धारक कस्टमर फार्म के अनुसार देवेन्द्र कुर्मी है । यह कहना सही है कि मैंने अपने विवेचना के दौरान इस देवेन्द्र कुर्मी से पूछताछ कर उसका कोई कथन अंकित नहीं किया और न ही इस संबंध में कोई विवेचना किया कि उसका फोन अभियुक्त हिमांशु राकेश के पास कैसे आया ।

61– यह कहना सही है कि मोबाईल फोनों की जप्ती दिनांक 28.01.2022 को मेरे द्वारा कर ली गई थी । यह कहना सही है कि मैंने अपनी विवेचना के दौरान CDR हेतु साईबर सेल को कोई आवेदन नहीं लिखा है । यह कहना गलत है कि CDR निकाले जाने हेतु 02 माह बाद आवेदन देकर साक्ष्य में मिक्सिंग/फिक्सिंग की गई है ।

62– यह कहना सही है कि मोटर सायकल क्रमांक CG–04 HM–3406 तथा CG–04 HW–2517 का आर०सी० बुक जप्त नहीं किया । यह कहना सही है कि जप्ती पत्र में उक्त दोनों मोटर सायकल का स्वामी कौन था, इस बात का कोई उल्लेख नहीं है । यह कहना सही है कि मैं आज भी नहीं बता सकता कि उक्त दोनों मोटर सायकल का स्वामी वास्तव में कौन है । यह कहना सही है कि दोनों मोटर सायकल में खून के धब्बे नहीं पाये गये थे ।

63– यह कहना सही है कि मैंने मोटर सायकल के सुपुर्ददार जगदीश प्रसाद व गणेश राम के कथन दर्ज नहीं किये थे । यह कहना सही है कि मैंने अपनी विवेचना के दौरान दिनांक 17.02.2022 तक लगभग सभी साक्षियों के कथन अंकित कर लिया था । यह कहना सही है कि मुझे दिनांक 17.02.2022 तक किसी भी साक्षी के द्वारा अपने कथन में यह नहीं बताया गया था कि उन्होंने खजरी रोड वार्ड क्रमांक 02 टिकरीपारा बिलाईगढ़ में रमेश कुमार जायसवाल के हार्डवेयर गोदाम में CCTV कैमरा लगा होने की बात नहीं बतायी थी ।

64– यह कहना सही है कि मुझे किसी भी साक्षी ने अपने कथन में यह नहीं बताया था कि मृतक लोमेश साहू को खजरी रोड वार्ड क्रमांक 02 टिकरीपारा बिलाईगढ़ में रमेश कुमार जायसवाल के हार्ड वेयर गोदाम होते हुए रैनीभाठा डबरी तालाब ले जाया गया । यह कहना सही है कि रमेश कुमार जायसवाल तथा श्याम कुमार साहू को दिये गये दोनों नोटिसों में तारीख एवं समय अंकित नहीं है ।

65– यह कहना सही है कि श्याम कुमार साहू द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र में भी तारीख एवं समय अंकित नहीं है । यह कहना सही है कि पेनड्राईव की जप्ती दिनांक 17.02.2022 में भी समय अंकित नहीं है ।

66– यह कहना सही है कि CCTV से पेनड्राईव में फूटेज निकालने की प्रक्रिया का कोई पंचनामा मैंने नहीं बनाया और न ही पेनड्राईव के रिकार्डिंग नहीं होने के संबंध में कोई पंचनामा नहीं बनाया था । यह कहना सही है कि जप्ती पत्रक प्रदर्श पी. 23 के कॉलम A में दिनांक 17.02.2022 के माह के अंत में ओवर राईटिंग है, जिस हेतु मैंने अपना कोई लघु हस्ताक्षर नहीं किया है ।

67– आज मैं नहीं बता सकता कि जप्ती पत्रक प्रदर्श पी. 23 के कॉलम नंबर में वर्णित माह के अंत में जिसके द्वारा किसके द्वारा ओवर राईटिंग की गई है ।

68– यह कहना सही है कि जिस CCTV के फूटेज निकाले गये, उसकी कंपनी, मॉडल एवं सीरियल नंबर का विलोप है । यह कहना सही है कि DVR, टी०वी० व कम्प्यूटर जिससे पेनड्राईव बना, उसका कंपनी, मॉडल नंबर व सीरियल नंबर का उल्लेख नहीं है । यह कहना सही है कि मैं CCTV वाले स्थान पर अभियुक्तगण की निशानदेही पर नहीं गया था ।

69– यह कहना सही है कि CCTV से DVR में दिखने की प्रक्रिया का पंचनामा एवं विडियो क्लिप नहीं बनायी । यह कहना गलत है कि नोटिस एवं प्रमाण पत्र में तारीख व समय का विलोप है तथा पेनड्राईव की जप्ती में समय का विलोप है और तारीख में ओवर राईटिंग है, इसलिए मैंने श्याम कुमार एवं रमेश जायसवाल की मदद से दिनांक 28.01.2022 को आरोपीगण मेरी हिरासत में थे, तो उनके सामने से ले जाने का ड्रामा किया और CCTV में डिलिट व फिड तथा मिक्सिंग द्वारा छेड़छाड़ कर झूठी साक्ष्य गढ़कर दृश्य तैयार करवाया ।

70– यह कहना गलत है कि लोकेश की फोटो की एडिटिंग कर 19–20 दिन बाद चुपचाप उसकी जप्ती दर्शायी गई थी । यह कहना गलत है कि CCTV फूटेज

की हमारी संपूर्ण कार्यवाही मिथ्या व फर्जी थी, एसलिए जप्ती पत्रक की प्रति मजिस्ट्रेट को भेजने की साक्ष्य का अभाव है ।

71– यह कहना सही है कि जिस तिथि की घटना है, उस तिथि को मुझे विडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी का निर्धारित प्रशिक्षण नहीं दिया गया था । यह कहना सही है कि हमारे पुलिस विभाग में फोटोग्राफर भी होता है । यह कहना सही है कि मैंने CCTV की विडियोग्राफी के लिए उक्त फोटोग्राफर को नहीं बुलाया था । यह कहना सही है कि कार्यवाही के समय Object के लिए प्राथमिक आवश्यकता पंचनामा, जिसमें कागज पर तारीख, समय, स्थल लिखकर गवाहों के हस्ताक्षर सहित फोटोग्राफी के Object पर चिपकाया गया और फिर विडियोग्राफी/फोटोग्राफी की जप्ती नहीं की गई ।

72– यह कहना सही है कि मर्ग जांच के दौरान किसी भी साक्षी के कथन मेरे द्वारा नहीं लिये गये थे । यह कहना सही है कि लोकेश कुमार का कथन दिनांक 30.01.2022 को और शिवप्रसाद साहू तथा उसकी पत्नी शांता बाई का कथन दिनांक 17.02.2022 को अंकित किये गये हैं । यह कहना सही है कि ये तीनों साक्षी मर्ग व अपराध कायमी के बाद दिनांक 27.01.2022 से लगातार उपलब्ध थे, लेकिन उनका कथन विलंब से अंकित किया गया है । यह कहना गलत है कि उपरोक्त विलंब मेरे द्वारा साक्षियों को कहानी गढ़ने और बनाने का अवसर दिया गया है ।

73– मुझे साक्षी शिवप्रसाद साहू के द्वारा अपने पुलिस कथन **प्रदर्श डी. 01** में यह नहीं बताया गया था कि–"शाम करीब 07.30–08 बजे आरोपी हिमांशु ने मेरे पुत्र लोमेश साहू उसके मोबाईल में फोन किया था, उस समय मेरा पुत्र लोमेश, हिमांशु के फोन को नहीं उठा पाया था और हिमांशु से मेरे पुत्र लोमेश की बात नहीं हो पायी थी, क्योंकि मोबाईल को लोमेश की माँ रखी हुई थी और किसी दूसरे से विडियो कॉल कर बात कर रही थी ।"

74– मुझे साक्षी लोकेश साहू के द्वारा अपने पुलिस कथन **प्रदर्श डी. 02** में यह नहीं बताया गया था कि–"मेरी माँ लोमेश के मोबाईल से मेरी दीदी को विडियो कॉल कर बात कर रही थी।"

75– यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा अभियुक्तगण को झूठे प्रकरण में फंसाया गया है । यह कहना सही है कि दिनांक 24.01.2022 को ही थाना बिलाईगढ़ को मृतक लोमेश कुमार साहू की फोटो प्राप्त हो चुकी थी, जो प्रदर्श डी. 02 के क, ख, ग एवं घ भाग में चस्पित है ।

साक्ष्य समाप्त । **समय – 04.10 बजे तक ।**

साक्षी के हस्ताक्षर ....

बयान साक्षी को पढ़कर सुनाया गया

सही होना स्वीकार किया गया ।

मेरे निर्देशन में टंकित ।

सही/-

(कु० राधिका सैनी)

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सारंगढ़

दिनांक– 23.04.2025

सही/-

(कु० राधिका सैनी)

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सारंगढ़

दिनांक– 23.04.2025